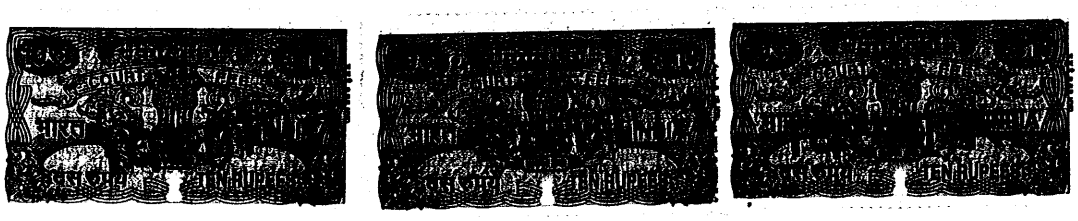

132

# न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. /2017 R 535-I/17.

1. वृन्दावन तनय शर्मनलाल विश्वकर्मा
2. श्रीमती विद्या पत्नी ओमप्रकाश विश्वकर्ता निवासी– अनंतपुरा तह.व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

.........आवेदक/निगराकार

श्री ...... द्वारा आज दि. 4.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. कुट्टू अहिरवार तनय लक्ष्मन अहिरवार निवासी– अनंतपुरा तह. व जिलाटीकमगढ़ म.प्र.
2. म.प्र. शासन ..........प्रतिनिगराकार

**निगरानी अंगर्तत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959**

**माननीय न्यायालय,**

प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ प्रकरण क्रमांक 2/अपील/अ/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2015 से व्यथित होकर।

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार है :–

1. यहकि, भूमि स्थिर अनंतपुरा खसरा क्रमांक 533/5/1 में से 50 बाई 60 (27 आर.ए.) आवेदक निगराकारगणों द्वारा भूमि क्रय की गई थी जिसका विधिवत पंजीकृत विलेख के द्वारा क्रय विक्रय पूर्ण किया था उक्त पंजीकृत विलेख निगराकार क्रमांक 2 के पास रहा जिसे पटवारी महोदय को इत्लायवी नामांतरण हेतु दिया गया एवं उक्त भूमि पर मौके पर निगराकारों द्वारा भूमि का उपभोग लगातार किया जाता रहा निगराकारगणों को उक्त भूमि पर ऋण इत्यादि की जरूरत महसूस हुई तदोपरांत निगराकारगणों द्वारा उक्त भूमि के राजस्व दस्तावेज प्राप्त किये तो पता चला कि नामांतरण नहीं हुआ है।
2. यहकि, निगराकारगणों द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा विक्रेता के रकवा के

# राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 535 /1/2017 जिला–टीकमगढ

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एंव अभि. एंव आवेदक के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9.2.17 | यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के प्रकरण कमाक 02/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2015 के विपरीत पेश की गई है ।<br>2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि स्थित ग्रम अनंतपुर तहसील व जिला टीकमगढ खसरा कमांक 533/5/1 रकवा 0.27 आर.ए निगरानीगणों द्वारा प्रतिनिगरानीकार कमांक 1 से कय किया गया जिसका कय विकय उपपंजीयक टीकमगढ के समस्त पूर्ण प्रफिल देकरके किया गया निगरानीकार ने उक्त पंजीयकृत विलेख पटवारी को इत्लायवी हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसका नामांतरण नही किया एवं तहसीलदार टीकमगढ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन.को इस आधार पर निरस्त किया गया कि रकवा का अभाव है जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के समक्ष की गई जिसे म्यादी अधिनियम धारा 5 आधार सही न मानते हुये निरस्त किया गया आवेदक अधिवक्ता के अनुसार प्रस्तुत निगरानी में 1 वर्ष 11 माह का विलम्ब हुआ है निगराकार द्वारा सागर संभाग सागर आयुक्त के समक्ष निगरानी हेतु दस्तावेज अधिवक्ता को दिये जिन्होने 1 वर्ष 11 माह वाद लगातार पूछने पर विधि परामर्श दिया एंव दस्तावेज यह कहते हुये वापस किये कि इसके विरूद्ध निगरानी की जानी है.जिसके तारतम्य में उन्ही दस्तावेजों के आधार पर निगरानी की जारही है ।<br>3/ उभय पक्षो के द्वारा प्रस्तुत तर्को से स्पस्ट होता है कि | |

दस्तावेजो की नकल दिनांक 27.3.2015 को प्राप्त की गई इससे यह स्पस्ट नही होता है कि निगराकार ने जानवूझकर विलम्ब किया है इस स्थिति में विलम्ब को माफ कर निगरानी ग्रहय किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक की निगरानी सम्पूर्ण गुण दोषो पर स्वीकार की जाकर भूमि पंजीयकृत विकय विलेख के माध्यम से कय की गई है उक्त भूमि विकय उपंरात शेष रकवा एवं भूमि किसी अन्य केताओं को बेची गई अथवा प्रतिनिगराकार कमाक 1 के पास शेष है जो भी स्थिति है उसमे पंजीयकृत विलेकख के माध्यम से कय दिनांक 24.12.2001 के अनुसार खसरा कमांक 533/5/1 में विकय विलेख के अनुसार तहसीलदार टीकमगढ को आदेश दिया जाता है तत्काल निगराकार का नाम दर्ज करते हुये कम्प्यूटरीकृत अभिलेख में प्रथम केता का नाम दर्ज करते हुये अनुविभागीय अधिकारी की अपील प्रकरण क 2/अपील/2014—15 में पारित आदेश एंव तहसीलदार का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है पश्चातवर्ती विकेताओ को उनके शेष रकवा बचने पर नामांतरण किया जाये उसके पूर्व केता निगराकारगणों का नामांतरण तहसीलदार टीकमगढ तत्काल करते हुये राजस्व अभिलेख आध्यतन करें।

सदस्य